संख्या 278/चौवालिस-1-24/80

प्रेषक,

श्री भक्तिदेव मुकर्जी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड,
88, ग्वालियर रोड,
आगरा-282001

लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 1980

विषयः- सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के उन अधिकारियों को जो पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट, 1972, के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं आते, उन्हें भी ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग-1

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 7053, दिनांक 29 जनवरी, 1980 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो की सलाहकार समिति की दिनांक 14 अगस्त, 1975 की बैठक में राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के सेवकों को ग्रेच्युटी प्रदान करने के विषय में विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त कर्मचारियों को "पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट, 1972" के प्राविधानों के अन्तर्गत ही ग्रेच्युटी की सुविधा अनुमन्य करायी जाय तथा अधिनियम के प्राविधानों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण न किया जाए। सलाहकार समिति की उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त का सम्बन्धित उद्धरण संलग्न है।

भवदीय,
भक्तिदेव मुकर्जी
उप सचिव।

संख्या 278 (1)/चौवालिस-1-24/80-तद्दिनांक

उक्त पत्र की प्रतिलिपि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया शासन को सूचित करें उनके सेवकों को ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान की जा रही है अथवा नहीं? अपने उत्तर में वे कृपया यह भी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि क्या उनके उपक्रम/निगम में पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट, 1972" के प्राविधानों को शिथिल करके, रु0 1000/- प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले सेवकों को भी प्रश्नगत सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है-यदि हां, तो किस आधार पर ?

आज्ञा से,
भक्तिदेव मुकर्जी
उप सचिव।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो की सलाहकार समिति की दिनांक 14 अगस्त, 1975 की बैठक के कार्यवृत्त के के मद संख्या-4 का सम्बन्धित उद्धरण

4- सार्वजनिक उद्योगों के समस्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान किया जाना।

सार्वजनिक उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी चाहे वे उद्योग की सेवा के हों अथवा राज्य सेवा के प्रतिनियुक्ति पर हों, को उसी हद तक ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जो वर्तमान में "पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट, 1972" के प्राविधानों के अन्तर्गत देय है। इसमें किसी प्रकार के "रिलेक्सेशन" किये जाने का औचित्य नहीं है।